प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

अध्याय-1 प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निहित आंकड़े सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत-राजकोषीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करते हैं।

अध्याय-2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के आधार पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्रोफ़ाइल का विश्लेषण करता है।

अध्याय-3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विनियोग लेखाओं पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोगों और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय-4 में रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी की गई है।